न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 78/2018 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र कंचनसिंह जाति ब्राहम्ण निवासी गढी ब्राहम्ण भुसावर जिला भरतपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1. हीरा पुत्र भौरया,
2. रामरूप पुत्र भौरया,
3. राधेश्याम
4. रामहरि
5. कल्लू पुत्रान भौरया जाति ब्राहम्ण निवासी गढी ब्राहमण भुसावर जिला भरतपुर
6. गुलकन्दी पत्नी भौरया
7. शिवकुमार पुत्र गोविन्द प्रसाद
8. कमला पत्नी राधेश्याम

जातियान ब्राहमण निवासीयान गढी ब्राहमण भुसावर जिला भरतपुर।

..... रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री जनार्दन शर्मा, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता, अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :–26.02.2021

यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भुसावर के निर्णय दिनांक 01.07.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट प्रार्थी द्वारा रास्ता प्राप्त करने बाबत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 21 रकबा 02 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम गढी ब्राहमण तहसील भुसावर जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त आराजी से लगी हुई अप्रार्थीगण रेस्पो0की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 89 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा खसरा नंबर 26 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा ग्राम गढी ब्राहमण तहसील भुसावर जिला भरतपुर में स्थित है।खसरा नंबर 26 व 226/148 में पूर्व से ही छह फुट चौडाई का रास्ता निकला हुआ है लेकिन इतने छोटे रास्ते में होकर प्रार्थी अपनी आराजी में बुवाई हेतु ट्रैक्टर आदि नही ले जा सकता है। और फसल बुवाने व मण्डी व घर तक ले जाने के लिये ट्रैक्टर ट्रॉली व अन्य

साधन नही पहुंच पाते हैं। प्रार्थी को 10 फुट चौडाई का रास्ता चाहिये अर्थात 6 फुट पहले से उपलब्ध है जिसमें 4 फुट कुल 10 फुट चौडाई का रास्ता बढाकर खसरा नंबर 26 व 89 में होकर प्रार्थी रास्ते को सुचारू रूप से उपयोग व उपभोग में ले रहा है। प्रार्थी 4 फुट चौडाई के रास्ते बाबत मुआवजा न्यायालय के आदेशानुसार अदा करने को तैयार है। अप्रार्थीगण ने अदालत में हाजिर होकर जबाव पेश कर अंकित किया कि खसरा नंबर 26 और 89 में होकर कोई रास्ता प्रार्थी का नही है। आवागमन करना गलत व अस्वीकार है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 21, 28, 27, तक आने जाने हेतु राजस्व रिकार्ड में पूर्व से ही गैर मुमकिन रास्ता खसरा नंबर 31, 82 व 95 मौके पर विद्यमान है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। अदालत तहत ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अपने आदेश दिनांक 01.07.2016 द्वारा खारिज कर दिया। जिस निर्णय से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस की शुरूआत करते हुए अपील के तथ्यों को दोहराया और अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद के तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि तहत अदालत ने राजस्व अभिलेख व नक्शा का अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया है जबकि राजस्व रिकार्ड व नक्शा में अवलोकन से यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो जाता है कि खसरा नंबर 26 व 226/148 में होकर रास्ता स्थित है लेकिन उक्त रास्ता केवल 06 फुट चौडाई का है जिसमें से होकर प्रार्थी आवागमन कर रहा है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि 06 फुट चौडे रास्ते में होकर कृषि संसाधन ट्रैक्टर आदि नही निकाल सकते हैं। यद्यपि मौके पर उक्त रास्ता 10 फुट चौडाई में कार्य में आ रहा है लेकिन अदालत तहत ने इस बात पर गौर किये बिना ही अपीलाधनी आदेश पारित किया है। तहत अदालत ने अपना निर्णय तहसीलदार भुसावर की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया है लेकिन तहसीलदार द्वारा प्रार्थी को बिना कोई नोटिस दिये व सूचित किये ही तथा बिना मौके पर गये रिपोर्ट पेश की है जो कि वास्तविकता से भिन्न है क्योंकि अगर तहसीलदार भुसावर द्वारा सही रिपोर्ट की होती तो खसरा नंबर 26 व 226/148 में स्थित प्रार्थी के रास्ते के बारे में जिक्र अवश्य करते। रिपोर्ट प्रार्थी की अनुपस्थिति में अन्यत्र बनाई गई है जिसकी कानूनन कोई वैद्यता नही है। प्रार्थी के आवागमन हेतु एकमात्र रास्ता खसरा नंबर 26 व 89 में होकर है जो कि प्रार्थी ने 10 फुट चौडाई में प्राप्त किया हुआ है और इसी प्रकार रास्ता का उपयोग व उपभोग हो रहा है। इसके अलावा प्रार्थी के आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता या वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है। पूर्व में 06 फुट रास्ता भी अप्रार्थीगण द्वारा बमुश्किल दिया जिसके लिये ग्राम पंचायत मैनापुरा द्वारा फैसला कर नामान्तकरण संख्या 162 दिनांक 16.10.1981 को किया गया। प्रार्थी द्वारा पहले से प्राप्त 06 फुट चौडे रास्ते को 10 फुट चौडा करने की बाबत प्रकरण अदालत तहत के समक्ष पेश किया लेकिन तहत अदालत ने प्रकरण का मूल बिंदु ही समाप्त करते हुये भिन्न आदेश पारित किया है। अपीलांट की मांग कतई बाजिव व न्यायोचित थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

जवाब बहस में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि रेस्पो0 की खातेदारी खसरा नंबरान 26 व 89 में होकर कोई रास्ता व प्रार्थी का आवागमन कतई गलत है। अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबरान 21, 28, 27 तक आने जाने हेतु राजस्व रिकार्ड में पूर्व से ही गैरमुमकिन रास्ता खसरा नंबर 31, 82, व 95 मौके पर विद्यमान है जिसमें होकर प्रार्थी अपीलांट व समस्त ग्राम वासी आते जाते हैं। रेस्पो0 की खातेदारी खसरा नंबर 26 व 89 में होकर रास्ता चाहना अवैधानिक है क्योंकि अपीलांट के पास पहले से ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अनुसार कोई भी नया रास्ता स्वीकृत तभी किया जा सकता है जबकि अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही हो। रास्ता चौडा करने की अत्यान्तिक आवश्यकता होनी चाहिये ना कि सुविधाजनक स्थिति के लिये। प्रार्थी को आने जाने के लिये खसरा नंबर 31 गैरमुमकिन रास्ता मकबूजा सरकार मौजूद है। जिसकी चौडाई 13 फुट से अधिक है, जो कि मौके पर आवागमन हेतु प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक चालू है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया तथा रेकार्ड एवं पेश दस्तावेज व साक्ष्यों का अवलोकन किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के साथ उसके नियम 69 बनाये गये हैं। इन नियमों के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी स्वयं अथवा भू अभिलेख निरीक्षक अथवा उससे उच्च अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को निर्णीत करेंगे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त तहत अदालत की आदेशिका में कहीं भी भू–अभिलेख निरीक्षक/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट तलब करने के आदेश नही हैं। इसके अतिरिक्त तहत अदालत की पत्रावली पर जो रेकार्ड संलग्न हैं, वे केवल छायाप्रति ही हैं। ऐसे दस्तावेज जो प्रापर कस्टडी में हों, किसी भी वाद में उसकी प्रमाणित प्रति होने पर पठनीय माने जायेंगे, सत्यता मानी जायेगी।

इस प्रकार तहत अदालत द्वारा बिना मौके की रिपोर्ट प्राप्त किये, बिना रेकार्ड के आधार पर जो कार्यवाही की गई है व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 ए नियम 69 के विरूद्ध की गई है, काबिले खारिज है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी भुसावर के निर्णय दिनांक 01.07.2016 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के नियम 69 की पूर्ण पालना करते हुये, लघुत्तम मार्ग का विनिश्चय करते हुये, नये सिरे से पुनः अपना निर्णय पारित करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/2/21

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर